[8/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2677]

3416030/2025/66(Sec-1)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2677
द्वारा माननीय विधायक श्री विपिन जैन

परिशिष्ट -'अ'

REGIONAL OFFICER * M.P. Pollution Control Board, Ujjain
918/ 22/7

LANXESS
Energizing Chemistry

LIPL/NGD/HSE/2025/199

Date: 21.07.2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन (मध्यप्रदेश)

LANXESS India Private Limited
Registered Office :
LANXESS House
Plot Nos. A 162-164
Road No. 27, MIDC
Wagle Estate
Thane (W) - 400 604
Maharashtra, India
Tel. + 91 22 2587 1000
Fax + 91 22 2587 1287
infoindia@lanxess.com
www.lanxess.in
CIN : U24119MH2004PTC158377
Works :
Birlagram, Nagda - 456 331
Madhya Pradesh, India
Tel. + 91 7366 245104, 248735, 245447
Fax + 91 7366 246283

विषय : विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2677, माननीय विधायक श्री विपिन जैन वांछित जानकारी बावत।

सन्दर्भ : आपके ऑफिस से प्राप्त पत्र क्रमांक 806 दिनांक 17.07.2025 संलग्न विधानसभा पत्र क्रमांक 2677

महोदय,

इति संदर्भानुसार प्राप्त पत्र के प्रत्युतर में स्थिति बिंदुवार निम्नानुसार है ..

(क) क्या उद्योग द्वारा अपने जल की पूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों से संगृहीत घरेलु अपशिष्ट जल को इनहॉउस एस.टी.पी. में उपचारित करना बताया जाता है? यदि हाँ तो कितने घरों /क्षेत्र का पानी का उपयोग किया जाता है ? क्षमता बढ़ेगी तो पानी तो उतना ही रहेगा विपरीत आंकड़े क्यों पेश किए जा रहे है?

उत्तर : उद्योग द्वारा अपने जल की पूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों से संगृहीत घरेलु अपशिष्ट जल को इनहॉउस 3500 के.एल.डी. क्षमता के इनहॉउस एस.टी.पी. में उपचारित किया जाता है। इसमें प्रमुखतः बिरलाग्राम-गवर्नमेंट लेबर कॉलोनी, दुर्गापुरा रहवासी कॉलोनी, मेहतवास रहवासी कॉलोनी क्षेत्र से औसत 1000 से 1200 के.एल.डी. घरेलु अपशिष्ट जल जो की लगभग 3000 - 4000 घरो का होकर उपयोग किया जाता है। घरेलु अपशिष्ट जल की यह मात्रा इस क्षेत्र में उपलब्ध घरेलु अपशिष्ट जल का लगभग 40-45 प्रतिशत ही है अतः आंकड़े विपरीत होने का प्रश्न नहीं होता है।

अनुभाग अधिकारी
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

INTERNAL

LANXESS
Energizing Chemistry

ख) क्या उद्योग द्वारा ठोस अपशिष्ट और हजार्डस वेस्ट को उद्योग के अंदर भूमि में डिस्पोज कर दिया जाता है हजार से अधिक फ़ीट के किये गए बोर खनन को भूमिगत कर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से प्रदूषित जल को भूमि में उतार दिया जाता है व नालियों में बहा दिया जाता है जिसमे की भूमिगत जल स्त्रोत व चम्बल नदी प्रदूषित हो गए है ? जिसके टकरावदा , पारदी , मेहतवास कैंसर जोन , हार्ट अटैक , फेफड़े , साँस लेने में तकलीफ, अस्थमा , एलर्जी , विकलांगता आदि के क्षेत्र बन गए है ? प्रदुषण विभाग द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर : उद्योग हजार्डस वेस्ट को नियमानुसार टीएसडीएफ / प्रीप्रोसेसर के माध्यम से हजारडस एंड अन्य वेस्ट अधिनियम रूल, 2016 अंतर्गत प्रदत सम्मति अनुसार ही डिस्पोजल करता है। अन्य किसी भी प्रकार से अपशिष्ट निष्पादन के आरोप असत्य निराधार है। उद्योग निरंतर शुन्य जल निस्त्राव (जेड.एल.डी.) का अनुपालन कर रहा है।

स्वस्थ्य सम्बन्धी जानकारी - असंगत

ग) क्या लैंक्सेस उद्योग का बायो पावर प्लांट का सन्चालन सुरक्षा नियमो का उल्लंघन कर चलाया जा रहा है ? यदि हाँ तो प्लांट की चिमनी काम उचाई पर होने के कारन आसपास की कॉलोनियों में बायो फ्लाई ऐश की परत जम जाती है जो मानव स्वस्थ्य के लिए हानिकारक है विवरण दे।

उत्तर : लैंक्सेस उद्योग अपने बायो पावर प्लांट का सन्चालन सुरक्षा नियमो का अनुपालन करते हुवे ही कर रहा है। चिमनी की उचाई नियमानुसार होकर 58 मीटर है।

भवदीय
वास्ते - लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागदा

सुनील मुखाटी
साइट हेड - मैन्युफैक्चरिंग

अनुभाग अधिकारी
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

INTERNAL